न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 33/2024 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. बाबूलाल पुत्र श्रवण
2. रामकरण पुत्र श्रवण
3. रमेश पुत्र श्रवण
4. राजेश पुत्र कैलाश
5. राधा पत्नि कैलाश
6. गुडिया पुत्री कैलाश

समस्त जाति मीना निवासी चौकीदारों की ढाणी, सैंटमेरी स्कूल के पीछे, लालसोट रोड, कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. उमराव पुत्र सन्तया
2. रामपति पत्नि मंगला
3. टंक्या उर्फ टिकल उर्फ महेश पुत्र मंगल्या
4. राजू पुत्र मंगल्या
5. रतन पुत्र मंगल्या
6. मूली पत्नि कंचन
7. निशा पत्नि धर्मसिंह
8. लालू पुत्र कंचन
9. कल्याण उर्फ कमलेश पुत्र कंचन

समस्त जाति मीना निवासी चौकीदारों की ढाणी, सैंटमेरी स्कूल के पीछे, लालसोट रोड, कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
11. श्री राजेन्द्र जी मीना, तहसीलदार, दौसा
12. उप पंजीयक दौसा जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 54 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत मिसल नंबर 17/2002 उनवानी उमराव बनाम सरकार बाबत नामान्तरण अंतर्गत धारा 135(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.3.2024 तहसीलदार दौसा जिला दौसा

उपस्थित : 1श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 03.09.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार दौसा में विचाराधीन नामान्तरण [illegible] को किसी भी दीगर तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण के बहस के दौरान अनुपस्थित रहने से उनके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र उनवानी उमराव बनाम सरकार प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:13:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

सं0 47/2010 न्यायालय उपखंड अधिकारी के समक्ष टी.आई. प्रा0पत्र पत्र पेश किया गया जो आज भी रामस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश वाद पत्र के साथ संलग्न स्थगन सं0 47/2010 में प्रार्थीगण उमराव वगै. के हक में वादग्रस्त भूमि के बाबत इस आशय से प्रतिबंधित किया जाता है कि अप्रार्थीगण सं0 01 से 10 प्रार्थीगण को वसीयत से प्राप्त भूमि खसरा नंबर 3011 से 3014 रकबा 2.12हैं. वाके ग्राम दौसा कलां के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जान बूझकर प्रार्थना पत्र टी0आई0 अदम हाजरी में एकतरफा में खारिज कराकर दावा पेंडिंग नहीं होना बताकर नामान्तरण अंतर्गत धारा 135(2) एल.आर.एक्ट के तहत बसाज तहसीलदार दौसा पत्रावली सं0 17/2024 को पुनः प्रारंभ की गई है, जबकि प्रार्थी हितबद्व पक्षकार को जानकारी के बावजूद सुनवाई के नोटिस जारी नहीं कर कर जरिये विज्ञप्ति लंबित वाद पत्र कार्यवाही पुनः प्रारंभ की गई है। मिसल नं. 17/2002 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6.10. 2010 को यह आदेश फरमाया गया कि प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के अस्थाई निषेधाज्ञा क्रमांकः1073–85 दिनांक 28.7.2010 द्वारा स्थगन जारी किया गया है, जिसमें दौसा कलां के कुल किता 4 रकबा 2.12है. राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पत्रावली स्थगित की जाती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 6.10.2010 की अनदेखी करते हुए दिनांक 1.3.2024 को उमराव के प्रार्थना पत्र पर पुनः पत्रावली विधि विरूद्व संस्थित कर बेजा कार्यवाही अमल में लाई जा रही है जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि प्रार्थीयान एवं अन्य को नोटिस दिये बिना एवं मृतकगण के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लाये बिना लंबित वाद के दौरान ही पुनः सुनवाई की जा रही है। विधि विरूद्व अपनी ओर से ही दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 20.3.2024 को विज्ञप्ति आपत्ति नोटिस सर्वसाधारण को जारी कर दिनांक 27.3.2024 को निर्णय किये जाने की तहसीलदार दौसा द्वारा सूचना जारी करवाई गई है। प्रार्थीगण उज्रदार हितबद्व आवश्यक पक्षकारान को सुनवाई नहीं की जा रही है जबकि उज्रदारान के निगरानी एवं वाद पत्र बाबूलाल बनाम उमराव इसी भूमि का लंबित है। उमराव बनाम सरकार के दावे में प्रार्थीयान द्वारा अपनी पैतृक भूमि होने की गरज से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का पेश किया गया था जिसको न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण सं0 62/2010 में दिनांक 25.8. 2023 को खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.6. 2024 नियत की गई थी। तहसीलदार दौसा द्वारा साज कर अप्रार्थीयान को लाभ पहुँचाने की गरज से मनमानी पूर्वक नामान्तरण के प्रकरण की पुनः सुनवाई विधि विरूद्व की जा रही है। प्रार्थीगण को अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि दौसा के भू माफिया जो कि मीणा जाति के हैं वे जन बल वाले लोग है व अन्य बहुत से भू माफियागण प्रार्थीगण के हक अधिकारों के भूमि को हडपने की गरज से बेशकीमती भूमि को सस्ते भाव में खरीद कर तहसीलदार दौसा से साज कर लिया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को तहसीलदार दौसा द्वारा विधि विरूद्व की जा रही कार्यवाही के [illegible] प्रा0पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण को तहसीलदार दौसा से विधि[illegible] उज्रदारी की सुनवाई करने का विश्वास नहीं रहा है। प्रार्थी [illegible] 2024 को विज्ञप्ति बताकर सुनवाई किये जाने के लिए मिला तो [illegible] प्रार्थी की सुनवाई करने से मना कर दिया और दिनांक 27.3.2024 को नामान्तरण नि[illegible] करने पर आमादा है। उमराव व अन्य पक्षकारान को प्रार्थी रामकरण ने तहसीलदार दौसा के चैम्बर में बातचीत करते हुए देखा है जिससे प्रार्थीगण को पूरी आशंका हो गई है कि तहसीलदार प्रार्थीगण की उज्रदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:13:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

सुने बिना लंबित वाद के दौरान ही निर्णय करने पर आमादा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर लंबित प्रकरण सं0 17/2002 नामान्तरण मिसल का सुनवाई हेतु दीगर तहसीलदार के न्यायालय में अन्तरित फरमाया जावे। साथ ही दावे के अन्तिम निस्तारण होने तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मौखिक कथन किया कि श्री राजेन्द्र मीना, तहसीलदार दौसा जिन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रा0पत्र पेश किया गया है, जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन हो गया है। वर्तमान में तहसीलदार दौसा के पद पर श्री राजेन्द्र मीना कार्यरत नहीं होकर अन्य अधिकारी कार्यरत है। अतः स्थानान्तरण प्रा0पत्र निरस्त फरमाया जावे।
5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। वर्तमान में तहसीलदार दौसा के पद पर श्री राजेन्द्र मीना न होकर अन्य अधिकारी कार्यरत है। अतः प्रार्थना पत्र **INFRUCTUOUS** हो जाने से हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रा0पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार दौसा में विचाराधीन प्रकरण 17/2002 उनवानी उमराव बनाम सरकार बाबत नामान्तरण अंतर्गत धारा 135(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम को दीगर तहसीलदार के न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:13:47 IST
Reason: SelfAttested